पत्रांक–अ०सं०क०–10–(WVY)–33 / 2021..................

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी,
विशेष सचिव–सह–निदेशक

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (ले० एवं ह०)
पटना।

पटना, दिनांकः–....................

विषय :– **वक्फ विकास योजनान्तर्गत वक्फ इस्टेट सं०–720 इस्लामपुर, नालंदा की भूमि पर G+3 विवाह भवन मुसाफिरखाना, पुस्तकालय एवं दुकान आदि निर्माण हेतु कार्यकारी एजेन्सी, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर 2021 के आधार पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन राशि ₹923.38 लाख (नौ करोड तेइस लाख अडतीस हजार) के 20% अनुज्ञेय सीमा के अधीन राशि ₹1048.23 लाख पर निर्माण कार्य की सहमति के उपरांत राशि ₹124. 85 लाख की निकासी एवं अंतरण की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

महाशय,

बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत बहुउद्देशीय भवन के निर्माण के उद्देश्य मुस्लिम समाज में फैली अशिक्षा को दूर करना, शैक्षणिक पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिये कार्य करना, सामाजिक उत्थान और समाज में सह–अस्तित्व मानवता एवं नैतिकता की भावना जागृत करना है। प्राकृतिक आपदा आने पर जरूरमंदों की सहायता करना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है। इसकी आय से विभिन्न प्रकार के सामाजिक, कल्याणकारी एवं परोपकारी कार्य आयोजित किये जाते है। जैसे विवाह का आयोजन, जलसा का आयोजन, रमजान के महीने में तरावीह का इंजाम एवं मीलादशरीफ आदि का आयोजन कराया जाता है।

02. उपर्युक्त उद्देश्य से वक्फ इस्टेट सं०–720 इस्लामपुर, नालंदा की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन के निर्माण कार्य हेतु कार्यान्वयन एजेंसी, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित मानक प्राक्कलन जिसकी प्राक्कलित राशि ₹923.38 लाख (नौ करोड तेइस लाख अडतीस हजार) के 20% अनुज्ञेय सीमा के अधीन राशि ₹1048.23 लाख रूपये मात्र पर निर्माण कार्य की विभागीय पत्रांक–4919 दिनांक–19.09.2025 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

03. बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत वक्फ इस्टेट सं०–720 इस्लामपुर, नालंदा की भूमि पर G+3 विवाह भवन मुसाफिरखाना, पुस्तकालय एवं दुकान आदि निर्माण हेतु बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना को अब तक राशि ₹923.38 उपलब्ध लाख करायी गयी है।

04 बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत वक्फ इस्टेट सं०–720 इस्लामपुर, नालंदा की भूमि पर G+3 विवाह भवन मुसाफिरखाना, पुस्तकालय एवं दुकान आदि निर्माण हेतु कार्यान्वयन एजेंसी, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित मानक प्राक्कलन जिसकी प्राक्कलित राशि ₹923.38 लाख (नौ करोड तेइस लाख अडतीस हजार) के 20% अनुज्ञेय सीमा के अधीन राशि ₹1048.23 लाख रूपये मात्र पर निर्माण कार्य की विभागीय पत्रांक–4919 दिनांक–19.09.2025 द्वारा स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि में से राशि ₹124.85 लाख (एक करोड चौबीस लाख पच्चासी हजार) मात्र वक्फ सम्पति के विकास हेतु रिवॉलविंग फण्ड की राशि की निकासी एवं अंतरण की स्वीकृती प्रदान की जाती है।

05. यह राशि बजट मांग सं०–30 अंतर्गत मुख्यशीर्ष–2250–अन्य सामाजिक सेवाएॅ–उपमुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–0108–वक्फ सम्पत्ति विकास हेतु वक्फ बोर्ड को रिवॉलविंग फण्ड, विषयशीर्ष–31–05 सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड–30–2250008000108 में प्रावधानित राशि से किया जायेगा।

06. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना से कोषागार विपत्र BTC-46 के माध्यम से उप सचिव –सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी। उक्त राशि की निकासी कर "WAQF DEVELOPMENT REVOLVING FUND C/o - BIHAR STATE SUNNI WAQF BOARD, PATNA, का पी०एल० खाता सं०–PTSPLA029, Ledger का नाम Waqf Vikash Yojana1, Ledger Id. No.- 20958 में CFMS के माध्यम से बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी।

कृ०पृ०उ०

07. इस राशि का व्यय होने पर अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को 18 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजा जा सकें।

08. स्वीकृत रिवॉलविंग फण्ड की राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में अन्य कार्य अथवा अन्य योजना के लिए नही किया जायेगा।

09. स्वीकृत रिवॉलविंग फण्ड की राशि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या–1203 दिनांक–14.08.2018 में उल्लेखित प्रावधानों/मार्गनिर्देशिका के अन्यत्र व्यय नहीं किया जायेगा।

10. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–7355 (वि०) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

11. योजनान्तर्गत बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभागीय पत्रांक–4989 वि० (2) दिनांक–16.05.2013 तथा संबंधित अद्यतन परिपत्र/आदेश की भी कंडिकाओं का अनुपालन कार्यकारी एजेंसी द्वारा अपेक्षित होगा।

12. योजना का क्रियान्वयन मार्गनिर्देशिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

13. व्यय उसी मद व उसी प्राधिकार द्वारा किया जाना है, जो इसके लिए प्राधिकृत है।

14. उपर्युक्त पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. उपर्युक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक:–अ०सं०क०–10–(WVY)–33/2021..................../ पटना, दिनांक:– ....

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक:–अ०सं०क०–10–(WVY)–33/2021..................../ पटना, दिनांक:– ....

प्रतिलिपि:--कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक:–अ०सं०क०–10–(WVY)–33/2021..................../ पटना, दिनांक:– ....

प्रतिलिपि:–प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक:–अ०सं०क०–10–(WVY)–33/2021..................../ पटना, दिनांक:– ....

प्रतिलिपि:–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा, (दो प्रतियों में), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक:–अ०सं०क०–10–(WVY)–33/2021..................../ पटना, दिनांक:– ....

प्रतिलिपि:–जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक:–अ०सं०क०–10–(WVY)–33/2021..................../ पटना, दिनांक:– ....

प्रतिलिपि:–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक:–अ०सं०क०–10–(WVY)–33/2021 700 / पटना, दिनांक:– 09/02/16

प्रतिलिपि:–आई०टी० प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव–सह–निदेशक

6/2